प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक 25.07.2026

> **थाना राजपुर पुलिस द्वारा सट्टे की खाईबाडी करने वाले 01 अभियुक्त को 01 एंड्रॉयड मोबाइल, सट्टा पर्चियां व ₹ 2700/- नगद सहित किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद में अपराध/आपराधिक गतिविधियों एवं जुआ/सट्टे के रोकथाम हेतु व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 25.07.2026 को थाना राजपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर सट्टे की खाईबाडी करने वाले एक आरोपी अभियुक्त वसीम खाँ पुत्र नसीर खाँ निवासी कस्बा राजपुर थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 32 बर्ष को सलेमपुर बम्बे के पास से गिरफ्तार किया गया। आरोपी अभियुक्त वसीम खाँ उपरोक्त की जामा तलाशी से पहने पैंट की दाहिनी जेब से 01 एंड्रॉयड मोबाइल फोन वीवो व दाहिने हाथ में पकड़ी हुई हस्तलिखित सट्टा पर्चियां (मटका सट्टा के अंकों व रुपयों के हिसाब-किताब युक्त) एवं पहने पैंट की दाहिनी पिछली जेब से ₹ 2700/- नकद बरामद हुए (जिसमें ₹500/- का 01 नोट, ₹200/- के 04 नोट, ₹100/- के 07 नोट व ₹50 के 14 नोट शामिल हैं), जो सट्टे की खाईवाड़ी से अर्जित रकम है, बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना राजपुर पर मु0अ0सं0 085/2026 धारा 13 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक द्यूत अधिनियम 1867 व धारा 112(2) बीएनएस बनाम 1. वसीम खाँ पुत्र नसीर खाँ, 2. राहुल पुत्र रामजी पोरवाल निवासीगण कस्बा राजपुर थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात पंजीकृत किया गया। अभियुक्त राहुल उपरोक्त की गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण:-

1. वसीम खाँ उम्र करीब 32 वर्ष पुत्र नसीर खाँ निवासी कस्बा राजपुर थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त वसीम खाँ उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. अ0सं0 303/16 धारा 13 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक द्यूत अधिनियम 1867 थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।
2. अ0सं0 85/26 धारा 13 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक द्यूत अधिनियम 1867 व 112(2) बीएनएस थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।

पूछताछ- अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि साहब मैं विगत कई महिनों से अवैध रुप से मटका सट्टे की खाईवाडी करता हूँ मेरे पास बहुत लोग सट्टा लगाते हैं जो पैसा नगद व फोन पे के माध्यम से देते है तथा अपना सट्टा का अंक व्हाइटअप पर भेजते है या पर्ची पर लिखकर दे जाते है। मैं यह काम अपने वीवो मोबाइल के जरिये राहुल पुत्र रामजी पोरवाल निवासी कस्बा व थाना राजपुर के माध्यम से करता हूँ जिसका मोबाइल मेरे मोबाइल में सट्टा के नाम से सेव है, राहुल सट्टे के लेन-देन के लिए कभी ऑनलाइन भुगतान लेता है तो कभी नगद लेता है, मुझे राहुल 100 रूपये के सट्टे पर 5 रुपये कमीशन और राहुल सट्टे का जो पैसा लेता व देता है जिसका हिसाब मैं अपने फोन से राहुल के फोन पर व्हाइटअप से माध्यम से देता हूँ जिसकी चैट व स्क्रीनशाट मेरे फोन में मौजूद है साहब गलती हो गयी है।

बरामदगी:-

1. ₹ 2700/- नकद
2. 01 एंड्रॉयड मोबाइल फोन वीवो बरामद
3. सट्टा पर्चियां।

गिरफ्तार करने वाली थाना राजपुर पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री गुरेन्द्र प्रताप सिंह
2. रि0 आ0 648 शिवा
3. रि0 आ0 310 रजत
4. रि0 आ0 641 निशान्त शर्मा